वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्याः- /XVII(2)/2008-09(18)/2008

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
देहरादून, उत्तराखण्ड।

महिला स0, बा0 वि0 एवं सै0 क0 अनुभाग देहरादूनः दिनांक 26 मार्च, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2007-08 में सैनिक कल्याण विभाग के कतिपय आयोजनेत्तर मदों में आवश्यक धनराशि को पुनर्विनियोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक संख्याः-2002/सै.क./बजट मांग/07-08 दिनांक 12 मार्च, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में सैनिक कल्याण विभाग के आयोजनेत्तर मद के अनुदान संख्या-15 में 0308-वीर चक्र श्रृखंला विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त पुरस्कार-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता में राज्य महिला आयोग के आयोजनेत्तर मद के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 103-महिला कल्याण, 10-राज्य महिला आयोग की स्थापना के मानक मदों में हो रही बचतों से रुपये 10.63 लाख (रुपये दस लाख त्रियसठ हजार मात्र) का पुनर्विनियोग करते हुये इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने के निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल अनुसार शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति, यदि आवश्यक हो तो, ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
4. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अंतर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए।

6. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाए।
9. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखाशीर्षक 2235-समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-03-सैनिक कल्याण-0308-वीर चक्र श्रृखंला विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त पुरस्कार में संलग्न प्रारूप के कॉलम-5 के सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रारूप बी0एम0-15 के पुनर्विनियोग कॉलम-1 की बचतों से वहन किया जायेगा।
10. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः-540(P)/XXVII(3)/2008, दिनांक 26 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 106 (1)/XVII(2)/2007-09(16)/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

बी0एम0-15

(पैरा-158)

वित्तीय वर्ष 2007-08

प्र0 विभाग- सै0क0 विभाग

नियंत्रक अधिकारी-सचिव, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

(धनराशि हजार रुपये में)

बजट प्राविधानित लेखाशीर्षक का विवरण		मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद कॉलम-1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5		6	7	8
अनुदान संख्या-015					अनुदान संख्या-015				
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण आयोजनेत्तर, 02-समाज कल्याण, 103-महिला कल्याण, 10-राज्य महिला आयोग की स्थापना					2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण आयोजनेत्तर, 60-अन्य सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 200-अन्य कार्यक्रम, 03-सैनिक कल्याण, 0308-वीर चक्र श्रृंखला विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त पुरस्कार 20-सहायक अनदुान/अंशदान/राजसहायता				मद संख्या-0308-वीर चक्र श्रृंखला विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त पुरस्कार 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता में आवश्यकता होगी।
04-यात्रा भत्ता	400	50		350					
07-मानदेय	1500	700		800		1063	1163	837	
	1900	750	0	1150		1063	1163	837	

(रुपये दस लाख त्रियेसठ हजार मात्र)

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155, में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(राधा रतूड़ी)

सचिव, सैनिक कल्याण विभाग,

उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु-03

संख्या:-51(1)/80/XXVII(3)/2008

देहरादून 28 मार्च, 2008

सेवा में,

महालेखाकार,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

पृष्ठांकन संख्या:- 106(I)/XVII(2)/2008-09(16)/2007(T.C.)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)

सचिव, सैनिक कल्याण विभाग,

उत्तराखण्ड शासन।